प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1762/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 09.07.2025

निर्णय पारित किया गया :23.07.2025

1 – संतोष सिंह पिता समय लाल गोंड 19 वर्ष निवासी गाँव पुटाडंड, पुलिस थाना–मनेन्द्रगढ़, जिला (राजस्व तथा नागरिक)–कोरिया छत्तीसगढ़। (जेल में), जिलाःकोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा बैकुंथपुर, जिला (राजस्व तथा नागरिक)–बैकुंथपुर छत्तीसगढ़, पुलिस थाना मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ जिला कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री आनंद केशरवानी,अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु: श्रीमती एम. आशा, पैनल अधिवक्ता

युगल पीठ:

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश के अनुसार,

1. दं. प्र. सं. कि धारा 374(2) के तहत दायर इस अपील में, अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बैकुंठपुर, जिला कोरिया, सी.जी. द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 97/2013 में दिनांक 16.10.2015 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश की वैधता, विधिमान्यता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत और जिसके तहत, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'भा.दं. सं.') की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पोक्सो अधिनियम') की धारा 4 के साथ धारा 3 और भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता को निम्नानुसार दंड पारित किया गया है:---

मनोहर राथिया की हत्या हेतु दोषी ठहराया गया	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (संक्षेप में, 'भा.दं. सं.') और पॉक्सो अधिनियम की धारा 04 के साथ पठित धारा 03 के तहत	संयुक्त रूप से 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा रु.500 का जुर्माना, जुर्माने की राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर 3 महीने के साधारण कारावास से भुगतना होगा
भा.दं. सं की धारा 307 के तहत	आजीवन कारावास तथा रु.500 हेतु जुर्माना, जुर्माने की राशि हेतु भुगतान न करने पर 3 महीने के साधारण कारावास से भुगतना होगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सभी दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था)

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह कि 07.08.2013 को लगभग 12:00 बजे, मृतक (बच्चा) रंगतेवा नाला के पास अपने मवेशी चरा रहा था और पास में ही कांता और पीडब्लू-3 नंदाऊ भी अपने मवेशी चरा रहे थे।अपने खेत की जुताई करने के बाद, अपीलकर्ता रंगतेवा नाला पहुँचा और मृतक से कहा कि वे पक्षी शिकार के लिए जा रहे हैं और उसे जंगल में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया।इस आशंका में कि मृतक दूसरों को बता देगा, उसने मृतक का गला काट दिया और कुल्हाड़ी अपने घर के एक कमरे में छिपा दी।अगली सुबह, वह अपने ससुराल भाग गया।इस घटना की सूचना मृतक के भाई, अभि.सा.-4 सुग्रीव के चाचा अभि.सा.-3 नंदऊ ने दी और सूचना मिलने पर अभि.सा.-4 सुग्रीव ने अपीलकर्ता के विरुद्ध प्र.सं./05 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।तत्पश्चात्, मर्ग सूचना प्र.पी./04 के अनुसार दर्ज की गई, जांच कार्यवाही प्र.पी./07 के अनुसार की गई तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसका परीक्षण पी.डब्लू.-1 डॉ. डी.के. सिंह द्वारा किया गया, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी./01 को प्रमाणित किया। पी.डब्लू.-1 डॉ. डी.के. सिंह के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं सदमा था तथा गले में गंभीर घाव था, जिससे श्वास नली, भोजन नली तथा रीढ़ की हड्डी आदि कट गई थी तथा मृतक की मृत्यु का तरीका हत्या प्रकृति का था।अन्वेषण के दौरान, प्र.पी-9 के तहत घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया

और अपीलकर्ता को प्र.पी–19 के तहत अभिरक्षा में लिया गया। अपीलकर्ता का ज्ञापन बयान प्र.पी–16 के तहत दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, प्र.पी–17 के तहत कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई।जब्त वस्तुओं को रासायनिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी–23 के अनुसार, जब्त कुल्हाड़ी पर कोई खून, मानव रक्त तो बिल्कुल नहीं पाया गया।

3. उचित अन्वेषण के पश्चात् अपीलकर्ता के खिलाफ क्षेत्राधिकार वाली आपराधिक अदालत में आरोप–पत्र दाखिल किया गया और मामला विधि के अनुसार सुनवाई और निराकरण के लिए विचारण न्यायालय को सौंप दिया गया, जिसमें अपीलकर्ता ने अपने अपराध से इनकार कर दिया और यह कहते हुए बचाव में आया कि उसने अपराध नहीं किया है।

4. अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए अपने मामले के समर्थन में 12 साक्षीयों से परीक्षा की और 23 दस्तावेज एक्स.पी–1 से पी–23 और अनुच्छेद ए, बी और जी–1 प्रदर्शित किए।हालांकि, अपीलकर्ता ने अपने बचाव के समर्थन में किसी भी दस्तावेज की परीक्षा नहीं की और कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया।

5. विचारण न्यायालय ने, विचारण पूरी होने के बाद और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद, अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता को इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया , जिसके विरुद्ध उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत वर्तमान अपील प्रस्तुत किया गया है। 6.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष, उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शारीरिक संभोग या हत्या की कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इसलिए, पूरा मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त के अपराध की ओर अचूक रूप से इंगित करे और निर्दोषता की किसी भी अन्य परिकल्पना को खारिज कर दे।उन्होंने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सभी पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों पर विचार नहीं किया गया है। "यौन गुदा क्षति के संकेत" के डॉक्टर के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह साक्ष्य, अपने आप में, निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करता है कि अपीलकर्ता ने ही शारीरिक संबंध बनाए थे।अपीलकर्ता को मृतक के शरीर से जोड़ने वाले वीर्य या डीएनए जैसे विशिष्ट फोरेंसिक साक्ष्य के अभाव में, चिकित्सा निष्कर्ष, यह स्थापित करते हुए कि यौन उत्पीड़न हुआ था, अपराधी की पहचान स्थापित नहीं करता है।उन्होंने पुष्टि के लिए चिकित्सा साक्ष्य के महत्व को दोहराया जैसा कि पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह,(1996) 2 एससीसी 384 में निर्धारित किया गया है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी पुष्टि अभियुक्त को कृत्य से अवश्य जोड़े।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महत्वपूर्ण रूप से, एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज़ब्त की गई कुल्हाड़ी पर मानव रक्त का कोई संकेत नहीं है और यह निष्कर्ष अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता को हत्या के हथियार और इस प्रकार हत्या के कृत्य से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जोड़ने के किसी भी प्रयास के लिए घातक है।यह अपीलकर्ता, कथित हथियार और अपराध के बीच एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक कड़ी को पूरी तरह से अलग कर देता है।अपीलकर्ता को घटना से जोड़ने वाले किसी भी रक्त, वीर्य या अन्य जैविक सामग्री के अभाव में, अभियोजन पक्ष के पास उसे शारीरिक संभोग या हत्या से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही कुल्हाड़ी अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद की गई हो, लेकिन ऐसी बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उस पर कोई मानव रक्त नहीं दिखाया गया है, जिससे अपराध से कोई संबंध नहीं होने का संकेत मिलता है।विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से बलवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 7 एससीसी 634 का हवाला दिया, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत किसी वस्तु की बरामदगी के लिए दिया गया खोज कथन, यदि यह साबित नहीं होता कि वह वस्तु अपराध से जुड़ी है, तो साक्ष्य मूल्य का नहीं है।बिना किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के, यौन उत्पीड़न के अपराधी की निर्णायक पहचान न करने वाले चिकित्सीय साक्ष्य, और किसी भी फोरेंसिक लिंक (विशेषकर कथित हत्या के हथियार पर मानव रक्त) के पूर्ण अभाव के कारण, अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः, दोषसिद्धि और दंड के आदेश को अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलकर्ताओं को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध सिद्ध कर दिया है तथा मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और इस प्रकार, अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और दंड पारित किया गया है .

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, इसका उत्तर ट्रायल कोर्ट ने डॉ. डी.के. सिंह (पीडब्लू–1) द्वारा सिद्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी–1) पर भरोसा करते हुए सकारात्मक रूप से दिया है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा था और गले में गंभीर घाव था और मृत्यु की प्रकृति हत्या की थी।इस प्रकार, हमारा विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक की मृत्यु को हत्या की प्रकृति का माना है जो कि तथ्य का सही निष्कर्ष है और हम विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

10. अब, प्रश्न यह होगा कि क्या अपीलकर्ता विचाराधीन अपराध का लेखक है?

11. वर्तमान मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है, क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। यहाँ शरद बिरधीचंद सारदा (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित

निम्नलिखित पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों पर ध्यान देना लाभदायक है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले के प्रमाण के 'पंचशील' का गठन करते हैं और ये निम्नानुसार हैं:

"153.....(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए' थीं, न कि 'स्थापित की जा सकती हैं'।'सिद्ध किया जा सकता है' और 'सिद्ध किया जा सकता है या सिद्ध किया जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबड़े एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793 में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त का दोषी होना आवश्यक है, न कि केवल दोषी हो सकता है, और 'हो सकता है' और 'होना ही चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्। अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को बाहर रखा जाना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

12. अब, हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करेंगे।पीडब्लू–3 नंदऊ, मृतक का नाबालिग भाई, जिसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है।इस साक्षी (पीडब्लू–3) के अनुसार, उसने घटना देखी है।उन्होंने कहा है कि घटना की तारीख को अपीलकर्ता उस स्थान पर आया जहां मृतक और वह और उसका भाई अपने मवेशी चरा रहे थे और मृतक को पास के माडा (दो चट्टानों के बीच का स्थान) में पक्षी शिकार के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा और मृतक को अपने साथ ले गया जहां अपीलकर्ता ने मृतक के कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर सो गया। जब मृतक रोने लगा, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता, जो कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, ने मृतक की गर्दन पर हमला किया।यद्यपि इस साक्षी ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया है, परन्तु सीआरपीसी की धारा 161 (एक्स डी–1) के अंतर्गत दर्ज किए गए उसके बयान में इस कथन का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान जब उससे यह प्रश्न पूछा गया, तो उसने बताया कि उसने पुलिस को इस बारे में बताया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पुलिस ने उसके बयान में यह बात क्यों दर्ज नहीं की है।इस साक्षी और दस्तावेज़ (प्रदर्श डी–1) की गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि वह घटना का प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। बल्कि, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपीलकर्ता और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसके अलावा, पीडब्लू– –4 सुग्रीव और पीडब्लू––5 बुधलाल ने भी घटना के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है।इस प्रकार, उपरोक्त साक्षीयों के कथन अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है।

13. इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी–1) और डॉ. डी.के. सिंह (पीडब्लू–1) के कथन के माध्यम से प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य, जो यौन गुदा क्षति के संकेत देते हैं, वास्तव में यौन उत्पीड़न की ओर संकेत करते हैं।यह यौन उत्पीड़न के तथ्य की चिकित्सीय पुष्टि प्रदान करता है।पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य के महत्व पर ज़ोर दिया।हालाँकि, चिकित्सीय निष्कर्ष इस बात की पुष्टि तो करते हैं कि हमला हुआ था, लेकिन यह अपने आप में अपराधी की पहचान निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करता है।यौन उत्पीड़न के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को उसे इस कृत्य से जोड़ना आवश्यक था, हालांकि, यह महत्वपूर्ण कड़ी गायब है।इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट (प्रत्यावलोकन–23) वीर्य या किसी अन्य जैविक पदार्थ की उपस्थिति के बारे में मौन है जिससे अपीलकर्ता की हमलावर के रूप में पहचान हो सके।इस प्रकार, जबकि यौन उत्पीड़न का अपराध हुआ प्रतीत होता है, साक्ष्य एक उचित संदेह से परे यह स्थापित नहीं करता है कि यह अपीलार्थी था जिसने इसे किया था।इसके अलावा, एफ. एस. एल. रिपोर्ट (एक्स पी/ –23) ने जब्त कुल्हाड़ी पर मानव रक्त का संकेत नहीं दिया।यह एक गंभीर कमी है जो सीधे तौर पर अपीलार्थी को हत्या के हथियार से जोड़ने की अभियोजन की क्षमता को प्रभावित करती है तथा विस्तार से, हत्या के कार्य से ही।किसी प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में, तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा मुख्य रूप से यौन उत्पीड़न के तथ्य को स्थापित किए बिना ही अपराधी की प्रत्यक्ष पहचान कर लेने के कारण, अपीलकर्ता को कथित हत्या के हथियार से जोड़ने वाले किसी फोरेंसिक लिंक (जैसे मानव रक्त) की कमी के कारण परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनाना असंभव हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसके अलावा, कुल्हाड़ी की कोई भी कथित बरामदगी, भले ही वह अपीलकर्ता द्वारा प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में की गई हो, अपराध से फोरेंसिक संबंध के अभाव में निरर्थक हो जाती है। बलवान सिंह (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यहाँ सीधे लागू होता है। उस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में बरामद की गई वस्तुएँ अपराध से संबंधित नहीं पाई जाती हैं, तो खोज कथन का स्वयं कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा।यहाँ, एफ. एस. एल. रिपोर्ट (एक्स पी/ –23) के साथ कुल्हाड़ी पर मानव रक्त के माध्यम से किसी भी संबंध को निर्णायक रूप से नकारते हुए, ऐसी किसी भी वसूली को अपराध स्थापित करने हेतु असंगत बना दिया जाता है।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे "पूरी तरह से स्थापित" नहीं हैं और "साक्ष्यों की ऐसी पूरी श्रृंखला नहीं बनातीं जिससे अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार न बचे," जैसा कि शरद बिरधीचंद सारदा (सुप्रा) द्वारा निर्धारित किया गया है।चिकित्सा साक्ष्य यौन हमले की पुष्टि करते हैं, लेकिन हमलावर की पहचान नहीं।एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी–23) विशेष रूप से हत्या के हथियार के संबंध में, कोई भी फोरेंसिक लिंक प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही है।संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता।

16. वर्तमान परिदृश्य में, अपीलकर्ता को यौन उत्पीड़न या हत्या से सीधे जोड़ने वाले अभियोगात्मक साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है।ऐसी परिस्थितियों में दोषसिद्धि को बनाए रखना न्याय का उपहास होगा और आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, एआईआर 2013 एससी 3817** में आगे कहा है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता और केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि स्वीकार्य नहीं है।यह कंडिका 6 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :---

"6.संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता, और जो "साबित" हो सकता है और जो "साबित" हो जाएगा, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर होता है।किसी दाण्डिक विचारण में, संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसे सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही दी जानी चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि "हो सकता है" और "होना ही चाहिए" के बीच मानसिक दूरी बहुत ज़्यादा होती है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।किसी आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह ही कानूनी प्रमाण का स्थान न ले लें। "हो सकता है" सत्य हो और "होना ही चाहिए" सत्य के बीच की बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्यों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए, और इस बुनियादी और सुनहरे नियम को लागू किया जाना चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि "हो सकता है" और "होना ही चाहिए" के बीच मानसिक दूरी बहुत ज़्यादा होती है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।किसी आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह ही कानूनी प्रमाण का स्थान न ले लें।"हो सकता है" सत्य हो और "होना ही चाहिए" सत्य के बीच की बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्यों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए, और इस बुनियादी और सुनहरे नियम को लागू किया जाना चाहिए।(हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम. पी. राज्य, (1952) 2 एस. सी. सी. 71, राज्य बनाम महेंद्र सिंह दहिया (2011) 3 एस. सी. सी. 109 तथा रमेश हरिजन बनाम यू. पी. राज्य (2012) 5 एस. सी. सी. 777 "।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसके अलावा, (2014) 4 एस. सी. सी. 715 में रिपोर्ट किए गए कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 'आखिरी बार एक साथ देखे गए' साक्ष्य सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है तथा केवल 'आखिरी बार एक साथ देखे गए' के आधार पर दोषसिद्धि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अन्य पुष्टिकारक सबूत होने के बिना, अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत अपराध हेतु दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं है। पैरा 12 तथा 15 के निर्णय से निम्नलिखित अंश को लाभप्रद रूप से संदर्भित किया जा सकता हैः

"12. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप तथा यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया था।अभियुक्त तथा अपराध मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ तथा

होना चाहिए।हमारी सुविचारित राय में, केवल अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण न देने से ही अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध का प्रमाण नहीं मिल सकता है।

15. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत–अपीलार्थी का मृतक के साथ पहले देखे गए तरीके से जाना, उसके विरुद्ध उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एकमात्र टुकड़ा है।अपीलार्थी की दोषसिद्धि को केवल संदेह पर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, या उसके आचरण पर कायम नहीं रखा जा सकता है।ये तथ्य उद्देश्य के प्रमाण के अभाव के हेतुरण तथा अधिक महत्व रखते हैं, विशेष रूप से जब यह साबित हो जाता है कि आरोपी तथा मृतक मध्य लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण संबंध थे।तथ्यात्मक स्थिति माधो सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2010) 15 एससीसी 588" के मामले से काफी मिलती–जुलती है।

19. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामब्रक्ष @ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2016) 12 एससीसी 251 में रिपोर्ट किए गए मामले मेंकंडिका 12 और 13 में निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त कानूनी स्थिति को दोहराया है:**

"12.यह सामान्य विधि है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि केवल इस आधार पर दर्ज नहीं की जा सकती है कि अभियुक्त को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था।दूसरे शब्दों में, एक दोषसिद्धि अंतिम बार एक साथ देखी गई एकमात्र परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती है।आम तौर पर, अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होता है जहां समय अंतराल, उस समय मध्य जब आरोपी तथा मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था तथा जब मृतक मृत पाया जाता है, इतना छोटा होता है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध करने वाले होने की संभावना असंभव हो जाती है।दोषसिद्धि अभिलेख के लिए, आखिरी बार एक साथ देखा जाना ही पर्याप्त नहीं होगा तथा अभियोजन पक्ष को आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करना होगा।

13. इसी तरह की तथ्य स्थिति में इस न्यायालय ने कृष्णन बनाम टी. एन. राज्य (2014) 12 एस. सी. सी. 279 मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:(एस. सी. सी. पीपी. 284–85, कंडिका 21 –24)

"21.दोषसिद्धि केवल मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने की परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती है। अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य मे(1994) सपं. (2) एस. सी. सी. 372 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:(एस. सी. सी. पी. 385, कंडिका 31)

'31.इस प्रकार, यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता 19–7–1985 की शाम को सीताराम के घर गया था और रात में मृतक सीताराम के घर पर रुका था, बहुत ही कमजोर और अनिर्णायक है।भले ही यह स्वीकार किया जाए कि वे वहाँ थे, यह सबसे अच्छा साक्ष्य होगा कि अपीलकर्ताओं को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था।परंतु यह सुस्थापित विधि है कि अंतिम बार देखी गई एकमात्र परिस्थिति इस निष्कर्ष को अभिलेख के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी कि यह केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है तथा इसलिए, अकेले उस आधार पर कोई दोषसिद्धि स्थापित नहीं की जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. बोधराज बनाम जम्मू–कश्मीर राज्य, (2002) 8 एस. सी. सी. 45 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः(एस. सी. सी. पी. 63, कंडिका 31)

31. अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होता है जहां उस समय मध्य का समय अंतराल जब आरोपी तथा मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था तथा जब मृतक मृत पाया जाता है तो इतना कम होता है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है।ऐसे मामलों में दोषी के निष्कर्ष पर पहुँचना खतरनाक होगा जहाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य सकारात्मक सबूत न हो कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था।

23. प्राथमिकी दर्ज करने में छह दिनों की अस्पष्ट देरी हुई है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक मणिकंदन को आखिरी बार 4–4–2004 को वडक्कुमेलुर गाँव में मरियम्मन मंदिर में पंगुनी उथिरम उत्सव के दौरान देखा गया था।मृतक का शव सात दिनों से अधिक समय के बाद अग्निशमन कर्मियों द्वारा बोरवेल से निकाला गया था।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई अन्य सकारात्मक सामग्री नहीं है कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था तथा सात दिनों की मध्यवर्ती अवधि में मृतक के संपर्क में कोई नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य, (2005) 12 एस. सी. सी. 438 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में किसी अन्य संबंध के अभाव में, अपीलार्थी को केवल "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही इस संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्षी के संस्करण पर विश्वास किया जाए।

20. शरद बिरधीचंद सारदा (सुप्रा),सुजीत बिस्वास (सुप्रा), कन्हैया लाल (सुप्रा) और रामबृक्ष उर्फ जालिम (सुप्रा) के उपरोक्त मामलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पद्मन बिभार बनाम ओडिशा राज्य मामले में हाल ही में दिए गए एक निर्णय में भी चर्चा की गई है, जिसकी रिपोर्ट 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1190 में दी गई है, जिसमेंमाननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक कानून में,परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए,दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, न कि केवल "हो सकता है" साबित किया जाना चाहिए, क्योंकि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है, जो अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है। स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषता की हर अन्य संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए।इसके अलावा, परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति तथा प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जिससे साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला बनती है जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष हेतु कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है, जिससे यह पता चलता है कि समस्त मानवीय संभावनाओं में, कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।यह आगे माना जाता है कि संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, तथा अदालतों का कर्तव्य है कि वे केवल अनुमानों को कानूनी साक्ष्य की जगह लेने से रोकें, जिसके लिए "सच हो सकता है" तथा "सच होना चाहिए" मध्य की मानसिक दूरी को पाटने के लिए स्पष्ट, ठोस तथा निर्विवाद साक्ष्य की आवश्यकता होती है।ऐसे मामलों में

जहां यह दूरी तय नहीं की गई है, संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, यह समझते हुए कि एक उचित संदेह तर्क तथा सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है।इसके अलावा, "आखिरी बार एक साथ देखे गए" सिद्धांत के संबंध में, यह आवश्यक रूप से अपराध के निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है; आरोपी तथा अपराध मध्य कुछ तथा स्थापित संबंध होना चाहिए।अपीलार्थी द्वारा केवल गैर–स्पष्टीकरण, अपने आप में, अपराध साबित नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब अन्य कारक जैसे कि उद्देश्य की अनुपस्थिति या अभियुक्त तथा मृतक मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध मौजूद हों।एक दोषसिद्धि पर केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने की घटना के आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।यह सिद्धांत आमतौर पर तब प्रासंगिक होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि किसी अन्य अपराधी की संभावना असंभव हो जाती है। हालाँकि, तब भी, अभियोजन पक्ष को दोष सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करनी होगी, क्योंकि केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है।

21. पूर्वगामी विश्लेषण के आधार पर, हम पाते हैं कि जबकि मृतक/बच्चे पर यौन हमले का कार्य चिकित्सा साक्ष्य द्वारा इंगित किया गया है, अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे, विचाराधीन अपराध के अपराधी के रूप में प्रश्नार्थी की पहचान स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है।इस अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले के मूलभूत स्तंभ विश्वसनीय साक्ष्य , चाहे प्रत्यक्ष, चिकित्सा (संबंध के संदर्भ में), या फोरेंसिक, विशेष रूप से अपराध के लिए अभिकथित हत्या के हथियार के संबंध की कमी से असमर्थित हैं।विचारण न्यायालय ने विश्वसनीय तथा भरोसेमंद साक्ष्य के बिना अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए गलती की।परिस्थितियों की श्रृंखला टूटी हुई तथा अधूरी है, इसलिए, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. तदनुसार, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बैकुंथपुर, जिला कोरिया द्वारा सत्र विचारण संख्या 97/2013 में पारित निर्णय तथा दोषसिद्धि का आदेश इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है तथा उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

23. दं. प्र. सं. की धारा 437-A के अनुपालन में, अपीलार्थी को संबंधित न्यायालय के समक्ष समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ ₹25,000/– का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।बांड छह महीने हेतु प्रभावी होगा तथा इसमें एक वचन शामिल होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति देने के मामले में, अपीलकर्ता नोटिस प्राप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

24. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचली न्यायालय के अभिलेख को जानकारी तथा आवश्यक अनुपालन हेतु तुरंत निचली न्यायालय को प्रेषित करे।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur